न्यायालय सिविल जज,(जू0 डि0), खलीलाबाद, स्थान–बस्ती

मूल वाद संख्या 152/1984

देवी प्रसाद प्रति राम आसरे

दिनाँक 24.01.2017

प्रार्थना पत्र 231 ग 2 वादी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अचानक तेज जूड़ी बुखार और उल्टी, कय दस्त से बीमार हो जाने के कारण पैरोकार वादी ध्रुवचन्द्र दिनाँक 02.07.2015 को कचेहरी आने में असमर्थ रहा, जिसकी वजह से वादी का शेष साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। प्रार्थना पत्र 231 ग 2 के माध्यम से वादी द्वारा आदेश दिनाँकित 02.07.2015 को निरस्त करने एवं वादी के शेष साक्ष्य का अवसर दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र कागज संख्या 232 ग 2 दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से आपत्ति कागज संख्या 233 ग 2 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की याचना की है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी को न तो अचानक तेज बुखार और न ही उल्टी कय दस्त शुरू हुआ। वादी दिनाँक 02.07.2015 को कचेहरी आया था, परन्तु अपना साक्ष्य नहीं दिया और न ही मामले में पूर्व में अधिरोपित हर्जा ही अदा किया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मामले को विलम्बित करने के आश्य से दिया गया है। आपत्ति के समर्थन में शपथ पत्र कागज संख्या 234 ग 2 प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनाँकित 02.07.2015 के द्वारा वादी के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया था। वादी द्वारा उक्त आदेश को रिकाल किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विधि की यह मंशा है कि प्रत्येक मामले में उभय पक्ष को गुण–दोष के आधार पर सुनकर ही कोई निर्णय या आदेश पारित किया जाये। अतः न्यायहित में वादी को साक्ष्य हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र 231 ग 2 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र 231 ग 2 स्वीकार किये जाने से प्रतिवादी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है, जहाँ तक मामले को विलम्ब करने का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 231 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 231 ग 2 मु० 2,00/– (दो सौ) रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि को प्रतिवादी के पक्ष में सम्पूर्ण हर्जे की अदायेगी सुनिश्तित करे एवं नियत तिथि को शेष साक्ष्य दाखिल करे। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य वादी दिनाँक 19.02.2017 को पेश हो।

सिविल जज,(जू०डि०)

खलीलाबाद,स्थान–बस्ती